न्यायालय— अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

बंटवारा वाद संख्या :— 72/2019
CIS No. :— PS/72/2019
CNR No. :— BRWC22–000415–2019

कृष्ण केजरीवाल बनाम् **भरत प्रसाद केजरीवाल एवं अन्य**

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
पश्चात **21.12.2021**	अभिलेख लंच बाद पुनः पेश हुयी। पुनः पुकार पर उभयपक्ष द्वारा विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 11, 13 व 14 द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांक—21.12.2021 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त प्रतिवादीगण दिनांक 20.11.2019 एवं 18.12.2019 को अभिलेख पर उपस्थित हुए। दिनांक 18.03.2020 को बयान तहरीरी समर्थित शपथपत्र के साथ विलम्ब माफी का प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया। उक्त बयान तहरीरी उचित पन्ने पर टंकित नहीं था। जिसको न्यायालय ने अस्वीकृत कर दिया तथा आदेशित किया गया कि उचित पन्ने पर टंकित बयान तहरीरी दाखिल करे। तदुपरांत उक्त प्रतिवादीगण द्वारा आज उचित पन्ने पर टंकित बयान तहरीरी दाखिल किया गया है। अतः विलम्ब को माफ करते हुए आज दाखिल बयान तहरीरी को स्वीकृत व अभिलेख पर रखते हुए दिनांक 18.03.2020 को दाखिल बयान तहरीरी को वापस करने की याचना की गयी है। वादी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि उक्त प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक—18.03.2020 को बयान तहरीरी दाखिल की गयी है, जो उचित पन्ने पर नहीं है। उक्त प्रतिवादीगण द्वारा आज उचित पन्ने पर टंकित बयान तहरीरी दाखिल किया गया है। उक्त प्रतिवादीगण द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर बयान तहरीरी प्रस्तुत नहीं करने के कारण वाद की कार्यवाही प्रभावित होती रही है। वाद के गुण—दोष के आधार पर निस्तारित करने के लिए अभिवचनो का अभिलेख पर उपलब्ध होने हेतु उक्त बयान तहरीरी को	

न्यायालय— अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

बंटवारा वाद संख्या :— 72/2019
CIS No. :— PS/72/2019
CNR No. :— BRWC22–000415–2019

कृष्ण केजरीवाल बनाम् **भरत प्रसाद केजरीवाल एवं अन्य**

लगातार **21.12.2021**	स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 21.12.2021 को दाखिल बयान तहरीरी स्वीकार किये जाने योग्य है। जहां तक विलम्ब का प्रश्न है उसकी क्षतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है। **आदेश** उक्त प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 21.12.2021 को दाखिल बयान तहरीरी मुव० 500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए अभिलेखावलित किया जाता है तथा दिनांक 18.03.2020 को दाखिल बयान तहरीरी को वापस किया जाता है। उक्त प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वे हर्जा की राशि वादी को अदा करना सुनिश्चित करें। हर्जा अदायगी पर ही दिनांक 21.12.2021 को दाखिल बयान तहरीरी स्वीकार व अभिलेखावलित माना जाएगा। अभिलेख वास्ते निषेधाज्ञा आवेदन पर सुनवाई/प्रतिवादी संख्या 6(क) ता 6(ङ) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 21.12.2021 पर सुनवाई/प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 की उपस्थिति हेतु दिनांक—25.01.2022 को पेश हो। अवर न्यायाधीश तृतीय न्याय कक्ष—4 नरकटियागंज।	